बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन– 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, वेबसाईट : **https://bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com**

पटना/ दिनांक : 10/11/2025

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/नि॰ 1–02/2025 2978.. चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से ऑनलाईन प्राप्त निर्वाचन प्रस्ताव पर प्राधिकार द्वारा **अनुलग्नक–1 में अंकित विशेष प्रकार की समितियों** के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा–4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा– 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक– 1 में अंकित विशेष प्रकार की समितियों** के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 16.12.2025 (मंगलवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के **पत्रांक– 2615 दिनांक 09.09.2025 एवं पत्रांक 2645 दिनांक 11.09.2025** द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट–ऑफ तिथि 31.08.2025** निर्धारित की गयी थी एवं तदनुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2025** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. **अनुलग्नक– 1 में अंकित विशेष प्रकार की समितियों** के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:–

क्र०	**निर्वाचन के प्रक्रम**	**तिथि**
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन	17.11.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.12.2025 (बुधवार) एवं 04.12.2025 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.12.2025 (शुक्रवार) एवं 06.12.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	09.12.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.12.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	18.12.2025 (गुरूवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र–ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 17.11.2025 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय– 3 की कंडिका– (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। <u>यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा :–</u>**

क0	सूचना प्रविष्ट / अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट / अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र ई०–1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध / निर्विरोध / मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध / निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode-Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

7. **<u>प्रपत्र ई०–1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा।</u> अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध / निर्विरोध / मतदान स्थगित / मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।**

8. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा–14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग–अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई–मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई–18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

10. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड कराएँगे।**

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात **दिनांक 18.12.2025 तक** लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134–142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः यथोक्त।

10.11.25

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10-11-25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, पटना, बांका, भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), मढ़ौरा (सारण), दानापुर, पालीगंज (पटना), धोरैया (बांका), नाथनगर (भागलपुर) एवं चकिया (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित समिति की उपविधियाँ **दिनांक 15.11.2025 तक** अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10.11.25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, पटना, भागलपुर एवं तिरहुत/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), सारण, पटना, बांका, भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण/ पुलिस अधीक्षक, सारण, पटना, बांका, भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण, पटना, बांका, भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से सादर अनुरोध है कि पैक्स चुनाव की भांति इस चुनाव में भी पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति **दिनांक 26.11.2025** तक करना सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

10-11-25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10-11-25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सादर अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु कृपया अपने स्तर से निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

10-11-25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 पटना/ दिनांक

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/संयुक्त सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा–2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.11.25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2978 /पटना, दिनांक : 10/11/2025

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित वेबसाईट पर की जानेवाली सभी प्रविष्टियाँ तथा ई–18 और अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.11.25

संयुक्त सचिव

निर्वाचन देय विशेष प्रकार की समितियों की सूची :–

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सारण	मढ़ौरा	मढ़ौरा दाल तेल उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड, तेजपुरवा	
2.	पटना	दानापुर	आदर्श सहकारी गृह निर्माण स०स०लि०, दानापुर	
3.	पटना	पालीगंज	सिगोड़ी प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, सिगोड़ी	
4.	बांका	धोरैया	अहिरो सिंगारपुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०	
5.	बांका	धोरैया	नौवाबांध प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०	
6.	भागलपुर	नाथनगर	किरण सिल्क प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
7.	भागलपुर	नाथनगर	नरगानूर प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
8.	भागलपुर	नाथनगर	नेशनल प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
9.	भागलपुर	नाथनगर	नाज प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
10.	भागलपुर	नाथनगर	भारत सिल्क प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
11.	भागलपुर	नाथनगर	यूनाईटेड ग्रामोद्योग प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
12.	भागलपुर	नाथनगर	श्रीरामपुर प्राथमिक बुनकर स०स०लि०	
13.	सारण	मढ़ौरा	मढ़ौरा सहकारी गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, तेजपुरवा, मढ़ौरा	
14.	सारण	मढ़ौरा	तेजपुरवा ईट–भट्ठा निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड	
15.	सारण	मढ़ौरा	तेजपुरवा श्रमिक सहयोग समिति लिमिटेड, तेजपुरवा, मढ़ौरा	
16.	पूर्वी चम्पारण	चकिया	आदर्श गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड	
17.	पूर्वी चम्पारण	चकिया	अहिरौलिया सहकारी सिंचाई सहयोग समिति लिमिटेड	
18.	पूर्वी चम्पारण	चकिया	चकिया थोक एवं खुदरा क्रय–विक्रय सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड	